न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी :— मणीलाल तिरगर

प्रकरण संख्या— 14 / 17 निर्णय दिनांकः— 25.10.2018

1 श्री भगु पिता हिरा यादव जाति चमार उम्र व्यस्क निवासी साकरसी ग्राम पंचायत साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।

वादी

बनाम

1 श्री गौतम पिता वजा यादव जाति चमार उम्र वयस्क निवासी साकरसी ग्राम पंचायत साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
2 श्री रतना पिता वजा यादव जाति चमार उम्र वयस्क निवासी साकरसी ग्राम पंचायत साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
3 श्री कोदर पिता वजा यादव जाति चमार उम्र वयस्क निवासी साकरसी ग्राम पंचायत साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
4 श्री शंकर पिता वजा यादव जाति चमार उम्र वयस्क निवासी साकरसी ग्राम पंचायत साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
5 श्री लक्ष्मण पिता वजा यादव जाति चमार उम्र वयस्क निवासी साकरसी ग्राम पंचायत साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
6 श्रीमती हाकेर बेवा वजा यादव जाति चमार उम्र वयस्क निवासी साकरसी ग्राम पंचायत साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
7 श्री कानजी पिता वलमा यादव जाति चमार उम्र वयस्क निवासी साकरसी ग्राम पंचायत साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
8 श्री गोमना पिता वलमा यादव जाति चमार उम्र वयस्क निवासी साकरसी ग्राम पंचायत साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
9 श्री पुजा पिता वलमा यादव जाति चमार उम्र वयस्क निवासी साकरसी ग्राम पंचायत साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
10 श्री लालु पिता वलमा यादव जाति चमार उम्र वयस्क निवासी साकरसी ग्राम पंचायत साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
11 श्री भुरा पिता वलमा यादव जाति चमार उम्र वयस्क निवासी साकरसी ग्राम पंचायत साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
12 श्री मरता पिता धुला यादव जाति चमार उम्र वयस्क निवासी साकरसी ग्राम पंचायत साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
13 श्री केशु पिता धुला यादव जाति चमार उम्र वयस्क निवासी साकरसी ग्राम पंचायत साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।

विपक्षीगण

Scanned by CamScanner

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकार एक्ट
उपस्थितः– श्री बालगोविन्द पाटीदार वादी की और से.
उपस्थित– बावजूद सूचना प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 25.10.2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य होकर मुलपुरूष रामा के वारिसान है। पारिवारिक सजरे के अनुसार मुलपुरूष रामा के दो पुत्र वजा और भाणा थे। तथा वादी व सभी प्रतिवादीगण इनके विधिक वारिसान है। वादी व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी ग्राम साकरसी में आराजी नम्बर 591, 739, 740, 741, 742, 743, 744 ,854, 745, 746, 748, 749, 939/857 ग्राम साकरसी में स्थित है। उक्त वादी के संयुक्त कब्जेकाश्त की आराजी की वादी ने नकले निकलवाई तो जानकारी हुई की वादी के संयुक्त कब्जेकाश्त की विरासती आराजी के खसरा नम्बर 591, 592, 739, 741, 742, 744, 750, 854 व 939/857 कुल खसरा 9 कुल रकबा 7.09 बीघा भुमि वर्तमान में अकेले प्रतिवादी संख्या एक सात के नाम दर्ज है। व खसरा नम्बर 746, 748, 749 वर्तमान में अकेले प्रतिवादी संख्या एक से बारह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। व खसरा नम्बर 740 व 745 प्रतिवादी संख्या 7 से 11 के नाम दर्ज है। जिस पर वादी ने पुराने खाते की नकले निकलवाने पर जानकारी हुई कि संवत 2008 में वादी के परदादा रामा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। रामा की मृत्यु के पश्चात सेटलमेंट कर्मियों ने सेंलमेंट 2019 में वादग्रस्त आराजी को रामा के दोनों पुत्र वजा व भाणा के समस्त वारिसानों के नाम नहीं कर केवल वजा व भाणा के एक मात्र पुत्र वालमा के नाम दर्ज कर दी। जिसे वर्तमान में वादग्रस्त आराजी वजा व वालमा के वारिसानों के नाम ही दर्ज है। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण से मिलकर रामा के सभी वारिसानों के नाम पारिवारिक हिस्से के अनुसार दर्ज कराने की बात कही। लेंकिन प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। वादग्रस्त आराजी के पुराने नम्बर 518, 519, 520, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 737/859 कुल खसरा 11 व कुल रकबा 12.08 बीघा होकर संवत 2008 में वादी के पददादा रामा के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। तथा संवत 2008 में अंकित खसरा नम्बर संवत 2014 में परिवर्तित हुए जो वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर है। अतएव ग्राम साकरसी की आराजी संख्या 591, 592, 739, 741, 742, 744, 750, 854 व 939/857 कुल खसरा 9 कुल रकबा 7.09 बीघा में प्रतिवादी संख्या एक से छः के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या सात से तेरह का नाम व ग्राम साकरसी की आराजी संख्या 743, 746, 748, 749 कुल खसरा 4 रकबा 1.19 बीघा में प्रतिवादी संख्या एक से ग्यारहे के साथ में वादी व प्रतिवादी संख्या बारह से तेरह का नाम और ग्राम साकरसी की आराजी संख्या 740, 745 कुल खसरा 2 रकबा 3.07 बीघा में प्रतिवादी संख्या सात से ग्यारह के साथ वादी, प्रतिवादी संख्या एक से छः व प्रतिवादी संख्या

Scanned by CamScanner

बारह से तेरह का नाम पारिवारिक हिस्से के अनुसार दर्ज किए जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे मात्र नाम के आधार पर भी वे वादी को काश्त में रूकावट पैदा नहीं करे।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किये गये। बावजुद सुचना के प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 08.02.2018 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई।

वादी द्वारा अपने साक्ष्य में पी.डबल्यु 1 साक्ष्य स्वयं वादी का शपथपत्र प्रस्तुत किया। व दस्तावेज हाल जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता संख्या 13, हाल जमाबंदी संवत 2062–2065 खाता संख्या 89, हाल जमाबंदी संवत 2066–2069 खाता संख्या 98, जमाबंदी संवत 2008 फर्द तुलनात्मक 2013–2014 पृष्ट संख्या 127 को प्रदशित कराई गई।

पत्रावली में एकपक्षीय विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई बहस में वकील वादी ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के तथ्यों को दोहराया। तथा हाकेर की मृत्यु होने के कारण हाकेर विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया है।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता संख्या 13 वर्तमान में प्रतिवादी संख्या सात से ग्यारह, प्रदर्श 2 हाल जमाबंदी संवत 2062–2065 खाता संख्या 89 प्रतिवादी संख्या एक से पांच, प्रदर्श 6 हाल जमाबंदी संवत 2066–2069 खाता संख्या 98 में प्रतिवादी संख्या एक से छः के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त भुमि पूर्व में वादी के पर दादा रामा के नाम दर्ज थी। तथा रामा की मृत्यु के पश्चात उक्त भुमि रामा के पुत्र वजा व भाणा के नाम दर्ज नहीं कर केवल वजा व भाणा के एक मात्र पुत्र वालमा के नाम दर्ज कर दी थी। जबकि वादी का वादग्रस्त आराजी विरासती होने से अधिकार निहित था। ऐसे में नियमानुसार रामा की मृत्यु के पश्चात रामा की आराजी पर वजा व भाणा के सभी वारिसानों के नाम दर्ज होना चाहिए था। बावजूद सूचना प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में वादग्रस्त आराजी संवत 2008 में रामा के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने से हाल जमाबंदी में रामा के दोनों पुत्रों वजा व भाणा के सभी वारिसानों के नाम पारिवारिक हिस्से के अनुसार दर्ज होने चाहिए। इसलिए वादी का वाद डिक्री योग्य तथा हाकेर की मृत्यु हो जाने तथा उसके सभी वारिसान पत्रावली में पक्षकार होने के कारण हाकेर के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

उक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तथा ग्राम साकरसी की आराजी संख्या 591, 592, 739, 741, 742, 744, 750, 854 व 939/857 कुल खसरा 9 कुल रकबा 7.09 बीघा में प्रतिवादी संख्या एक से छः के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या सात से तेरह का नाम दर्ज कर प्रतिवादी संख्या एक से छः के नाम 1/2 हिस्सा व वादी के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 से 11 के

Scanned by CamScanner

नाम 1/6 हिस्सा, ग्राम साकरसी की आराजी संख्या 743, 746, 748, 749 कुल खसरा 4 रकबा 1.19 बीघा में प्रतिवादी संख्या एक से ग्यारह के साथ में वादी व प्रतिवादी संख्या बारह से तेरह का नाम प्रतिवादी संख्या एक से छः के नाम 1/2 हिस्सा व वादी के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 से 11 के नाम 1/6 हिस्सा और ग्राम साकरसी की आराजी संख्या 740, 745 कुल खसरा 2 रकबा 3.07 बीघा में प्रतिवादी संख्या सात से ग्यारह के साथ वादी, प्रतिवादी संख्या एक से छः व प्रतिवादी संख्या बारह से तेरह का नाम प्रतिवादी संख्या एक से छः के नाम 1/2 हिस्सा व वादी के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 से 11 के नाम 1/6 हिस्से के अनुसार दर्ज किए जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है। तथा प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी को वादग्रस्त आराजी में काश्त करने में रूकावट पैदा न करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा कायम हो।

25.10.2018

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, प्र. धम्बोला

मणीलाल तीरगर
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 25.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.10.2018

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, प्र. धम्बोला

मणीलाल तीरगर
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी मणीलाल तीरगर सीमलवाडा

श्री भगु बनाम श्री गौतम वगैरह

वाद बाबतः– स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 209 राज.टी. एक्ट व धारा 136 लेण्ड रेवन्यु एक्ट

मुकदमा नम्बरः– 14/2017

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– श्री मणीलाल तीरगर

व हाजरी :– बालगोविन्द पाटीदार मिनजानिब मुदई व . . . . . .

मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है किः–

ग्राम साकरसी की आराजी संख्या 591, 592, 739, 741, 742, 744, 750, 854 व 939/857 कुल खसरा 9 कुल रकबा 7.09 बीघा में प्रतिवादी संख्या एक से छः के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या सात से तेरह का नाम दर्ज कर प्रतिवादी संख्या एक से छः के नाम 1/2 हिस्सा व वादी के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 से 11 के नाम 1/6 हिस्सा, ग्राम साकरसी की आराजी संख्या 743, 746, 748, 749 कुल खसरा 4 रकबा 1.19 बीघा में प्रतिवादी संख्या एक से ग्यारह के साथ में वादी व प्रतिवादी संख्या बारह से तेरह का नाम प्रतिवादी संख्या एक से छः के नाम 1/2 हिस्सा व वादी के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 से 11 के नाम 1/6 हिस्सा और ग्राम साकरसी की आराजी संख्या 740, 745 कुल खसरा 2 रकबा 3.07 बीघा में प्रतिवादी संख्या सात से ग्यारह के साथ वादी, प्रतिवादी संख्या एक से छः व प्रतिवादी संख्या बारह से तेरह का नाम प्रतिवादी संख्या एक से छः के नाम 1/2 हिस्सा व वादी के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 से 11 के नाम 1/6 हिस्से के अनुसार दर्ज किए जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है। तथा प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी को वादग्रस्त आराजी में काश्त करने में रूकावट पैदा न करे।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 25.10.2018 को जारी की गई।

दस्तखत. . . .

ओहदा . . . . उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा मु. धम्बोला

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पेसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

Scanned by CamScanner